सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2012–13

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

भारत सरकार

Visit us at http://mdws.nic.in

LET US TOGETHER MAKE

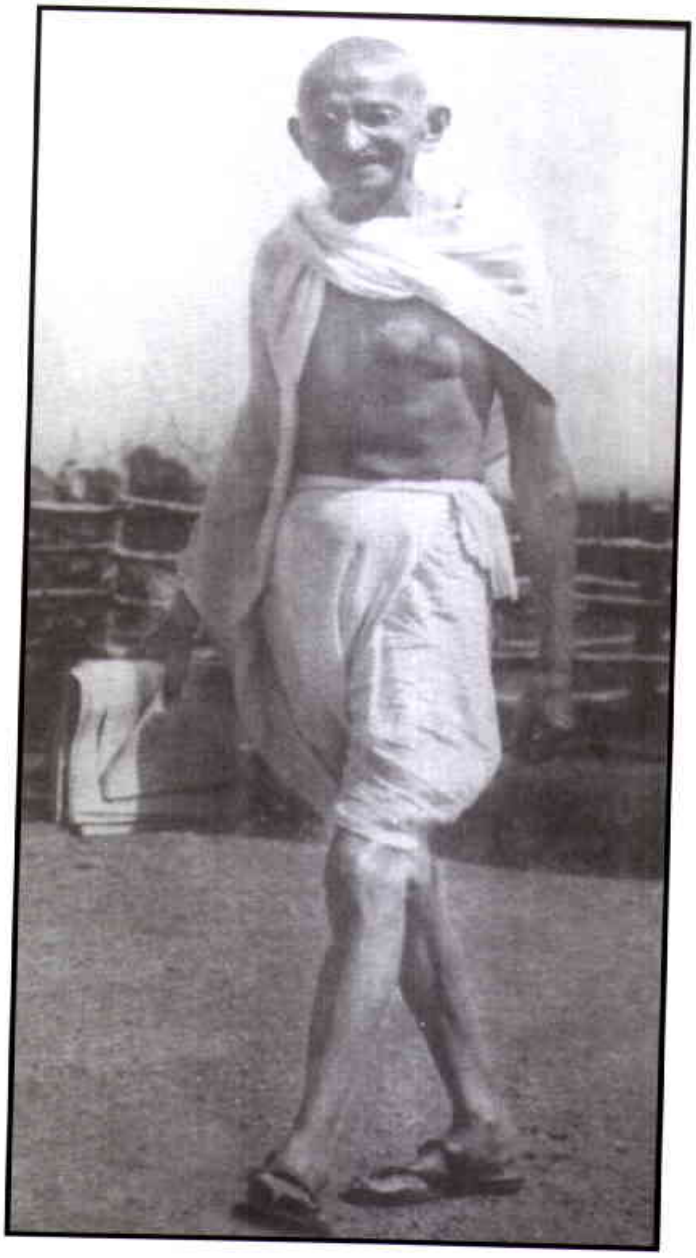

Sanitation is more important than Independence
Cleanliness is next to Godliness

SANITATION ..... A WAY OF LIFE

वार्षिक रिपोर्ट
2012–13

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

Visit us at http://mdws.nic.in

विषय सूची

क.स.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	मंत्रालय का इतिहास	1
	कार्य और संगठन	1
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	1
	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की स्थिति	2
	ग्रामीण जल आपूर्ति में वित्तपोषण	2
	पेयजल आपूर्ति वाली बसावटों के कवरेज की स्थिति	3
	11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक कार्य निष्पादन	5
	11वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय कार्य निष्पादन	6
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	6
	भारत निर्माण	7
	भूमिका	7
	भारत निर्माण–I और II में वास्तविक प्रगति	8
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	9
	(i) मुख्य उद्देश्य	9
	(ii) वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक शामिल नई विशेषताएँ	10
	(iii) एआरडीडब्ल्यूपी के घटक	11
	(iv) निधि आवंटन का मापदण्ड	12
	(v) एनआरडब्ल्यूएसपी/एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तीय कार्य निष्पादन	13
	(vi) 2010–11 और 2011–12 में वास्तविक कार्यनिष्पादन	14
	(vii) एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में संशोधन	16
	(viii) 2012–13 के लिए आयोजनाः वार्षिक कार्य योजना (एएपी)	21
	(ix) अनु.जाति उप योजना (एससीएसपी), जनजाति उप योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिले तथा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए आयोजना	22
	पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति	24

	2012 की सफलता की कहानियॉ	26
	महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेण्डर	31
2	जल गुणवत्ता (डब्ल्यू.क्यू.)	33
(i)	जलमणी	33
(ii)	जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग की गई प्रौद्योगिकियां	33
(iii)	जल गुणवत्ता निगरानी एवं जॉच	34
(iv)	जल गुणवत्ता जॉच प्रयोगशालाएँ	35
(v)	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ	35
(vi)	भू–जल संदर्शी (हाइड्रो–जियोमोरफोलॉजिकल) मानचित्र	36
(vii)	आईईसी	37
(viii)	मुख्य संसाधन केन्द्र	37
(ix)	जेई/एईएस की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम	38
(x)	विशिष्ट जल गुणवत्ता समस्याओं पर अंतर मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन	39
(xi)	प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का मूल्याकंन करने के लिए गृह मंत्रालय/कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए गए अंतर–मंत्रालयी केन्द्रीय दलों के सदस्यों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	39
(xii)	अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा	39
	वर्ष 2012 के दौरान गतिविधियॉ	40
	क. जेंडर मुद्दे	40
	ख. समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस)	40
	ग. बेहतर समन्वय, तालमेल एवं सहायता के लिए संस्थागत ढॉचा	41
	(I) राष्ट्रीय स्तर	41
	(II) राज्य स्तर	42
	(III) जिला स्तर	43
	(IV) ब्लॉक स्तर	43
	घ. 2012–13 में अन्य पहलें	44

3.	निर्मल भारत अभियान (एनबीए)	47
	पृष्ठभूमि	47
	निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अंतर्गत प्रावधान	48
	स्वच्छता कवरेज	50
	(क) वास्तविक प्रगति	51
	(ख) वित्तीय प्रगति	52–55
	2012–13 में शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियॉं	56–59
	प्रकाशन	60–62
	निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी)	63–65
	पूर्वोत्तर राज्यों में एनबीए की गतिविधियॉं	66–70
	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी), जनजाति उप–योजना	70–72
	(टीएसपी) तथा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिले	72
	सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी)	72–75
	एनबीए का अन्य योजनाओं के साथ तालमेल	76–80
	एनबीए के अंतर्गत निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई)	81–82
	मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	83–84
	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)	85
	अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व	86–87
4.	प्रशासन	89
(क)	संगठन	89
(ख)	संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियां	90
(ग)	सतर्कता एवं शिकायत निवारण तंत्र	90
(घ)	हिन्दी संबंधी कार्यकलाप	90–91
(ड.)	संगठनात्मक चार्ट	92
5.	परिणाम / कार्यढॉंचा (फ्रेमवर्क) दस्तावेज (आर एफ डी)	93–94
	अनुबंध	95
	एनआरडीडब्ल्यूपी (i से iv)	96–99
	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)/ निर्मल भारत अभियान	

(एनबीए) (v से ix) 100–104
वर्ष–वार निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन जी पी)
प्राप्त पंचायती राज संस्थाएँ (x) 105
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व (xi) 106
विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनुबंध (xii) 107
नागरिक / ग्राहक चार्टर (xiii) 109–110
मुख्य सेवाएँ कार्य 111–122
परिणाम–कार्यढॉचा (फ्रेमवर्क) दस्तावेज (आरएफडी) (xiv) 123–157
संक्षिप्ताक्षर 159–161

1 मंत्रालय का इतिहास

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय–(एमडीडब्ल्यूएस)

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) जो 1972–73 में शुरू किया गया था, भारत सरकार की जल क्षेत्र में प्रथम प्रमुख पहल थी। कवरेज में तेजी लाने के लिए, पेयजल संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में शुरू किया गया था। 1991–92 में इस मिशन का नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया।

मिशन का उन्नयन करते हुए 1999 में पेयजल और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) बनाया गया। तत्पश्चात, 2010 में इसका पेयजल और स्वच्छता विभाग के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

13 जुलाई, 2011 को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का सृजन किया गया और इस क्षेत्र के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा एक अलग मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया।

कार्य और संगठन

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय देश में ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा निर्मल भारत अभियान की समग्र नीति, आयोजना, वित्त पोषण और समन्वय के लिए एक नोडल मंत्रालय है।

मंत्रालय में इसके कार्यों को संचालित करने के लिए तीन कार्यक्रम प्रभाग हैं– नामतः जल, जल गुणवत्ता और स्वच्छता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

3.1 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की स्थिति

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) के आरंभ से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) तक भारत सरकार और राज्य सरकारों ने ग्रामीण पेयजल पर लगभग 1,45,000 करोड़ रू. खर्च किए हैं जिसमें से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के अंतर्गत, कुल व्यय लगभग 90,000 करोड़ रू. होने की संभावना है।

12वीं योजना (2012–2017) में, पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित होगा जिसमें पारिवारिक नल कनेक्शन 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के मानदण्ड को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के सेवा स्तर में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के बीच तालमेल, ग्रामीण आवास के साथ तालमेल, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं में लाभार्थियों विशेषकर महिलाओं की भागीदारी, निचली श्रेणी में आने से रोकने के लिए मौजूदा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना, ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में निधियों, कार्यों एवं कर्मियों का अन्तरण, विशेषकर आईएपी जिलों में ऐसी योजनाओं में सौर ऊर्जा चालित पम्पों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति का विस्तार, अपशिष्ट जल का शोधन एवं पुनः प्रयोग तथा जेई/एईएस मामलों सहित जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने हेतु समर्पित वित्तपोषण शामिल हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति में वित्तपोषण

ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना से निधियों के योजनावार आवंटन को निम्नलिखित सारणी और ग्राफ में दर्शाया गया है।

योजना अवधि	केन्द्रीय परिव्यय	राज्य
Ist (1951-56)	0.00	3.00
IInd (1956-61)	0.00	30.00
IIIrd (1961-66)	0.00	48.00
IVth (1969-74)	34.10	208.00
Vth (1974-79)	157.17	348.00
VIth (1980-85)	895.38	1530.17
VIIth (1985-90)	1905.64	2471.53
VIIIth (1992-97)	4139.74	5084.44
IXth (1997-02)	8454.57	10773.11
Xth (2002-07)	16254.42	15212.73
XIth (2007-12)	39211.16	35390.74
(2012-13)	10500.00	10612.56

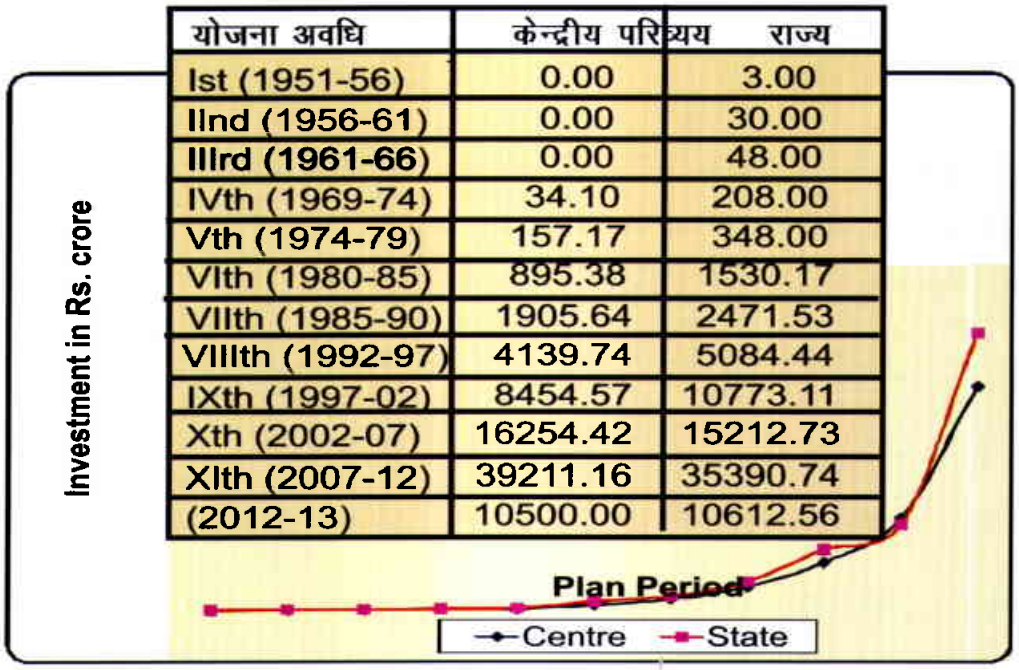

निवेश करोड़ रू. में

योजनावधि	केन्द्र	राज्य

पेयजल आपूर्ति वाली बसावटों के कवरेज की स्थिति

मंत्रालय की ऑन लाइन समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा डाली गई सूचना के अनुसार, बसावटों के प्रतिशत द्वारा मापित ग्रामीण क्षेत्रों में, जहॉ आबादी पर्याप्त (40 लीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन) और स्वच्छ पेयजल के साथ कवर है, पेयजल के प्रावधान की मौजूदा स्थिति कुल ग्रामीण बसावटों की लगभग 74 प्रतिशत है। शेष बसावटें या तो आंशिक रूप से कवर हैं अथवा वहॉ रसायन सन्दूषण के साथ सन्दूषित पेयजल स्रोत हैं।

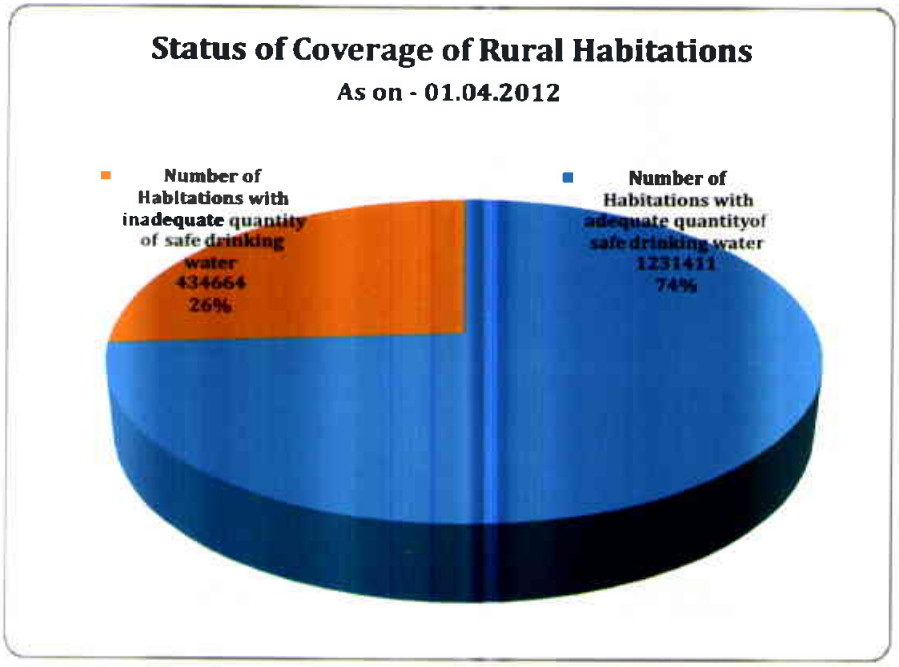

स्वच्छ पेयजल की अपर्याप्त मात्रा वाली बसावटों की संख्या 4,34,664 (26%)

स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा वाली बसावटों की संख्या 1231411 (74%)

1/4/2012 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बसावटों के कवरेज की स्थिति

1.4.2012, की स्थिति के अनुसार, बसावटों के कवरेज की स्थिति निम्न प्रकार थी:–

(बसावटों की सं.)

दिनांक	कुल ग्रामीण बसावटें	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित					
			फ्लोराइड	आर्सेनिक	लौह	नाइट्रेट	खारापन	कुल
1.4.2012 को	16,66,075	3,30,504	17,986	4,314	56,144	2,758	22,958	1,04,160

31/12/2012 को आईएमआईएस के अनुसार लगभग 38 प्रतिशत ग्रामीण आबादी नलों से पेयजल प्राप्त कर रही है।

जनगणना, 2011 के आंकड़े

क) स्रोतों का प्रकार

जनगणना 2011 द्वारा यथा अनुमानित स्थिति से यह पता चलता है कि लगभग 96 प्रतिशत परिवार उन्नत स्रोतों से अपना पेयजल प्राप्त करते हैं।

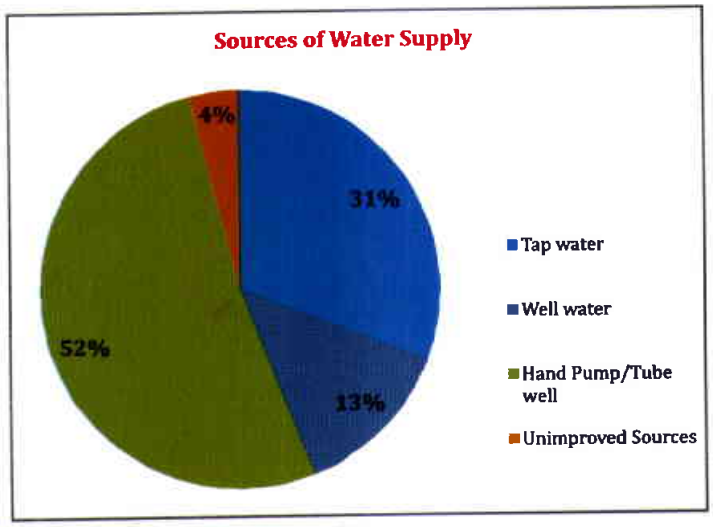

जल आपूर्ति के स्रोत
नल का जल, कुँए का जल

हैंडपम्प / ट्यूब वैल
असुरक्षित जल

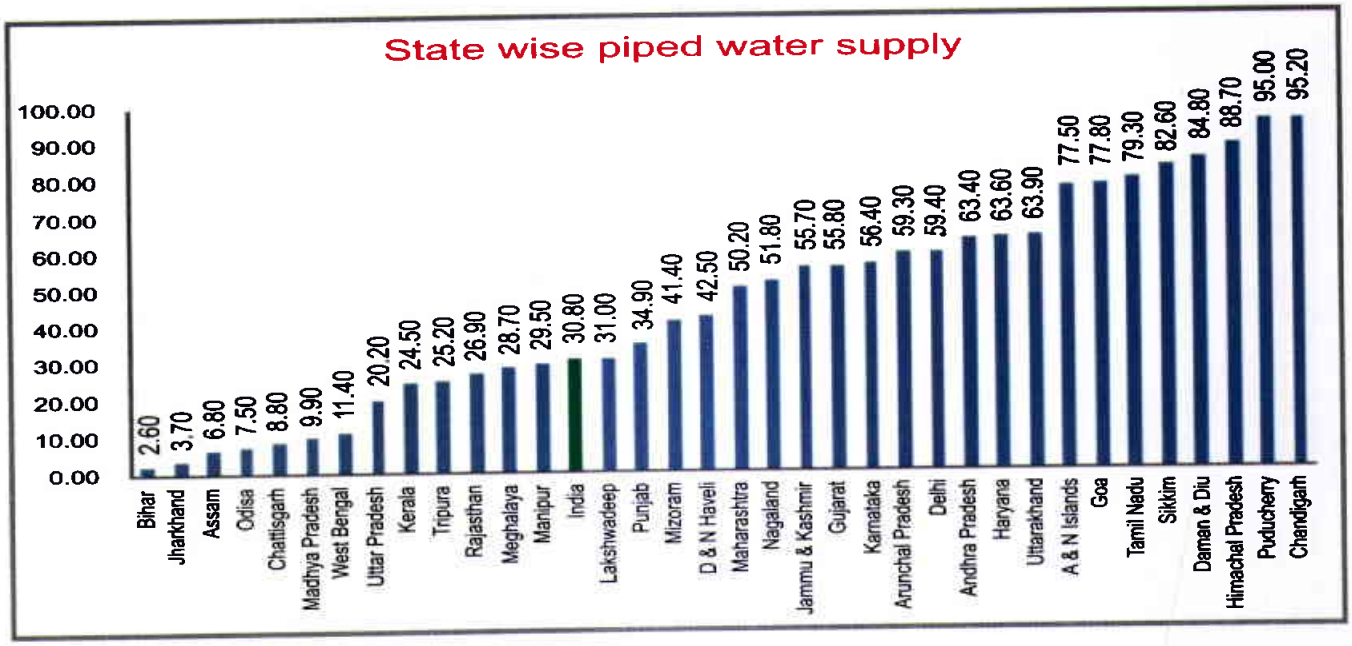

ख) उन परिवारों का राज्यवार प्रतिशत जिनके पास नल कनैक्शन हैं।

तथापि, पाइप द्वारा जल आपूर्ति वाले परिवारों के कवरेज में बड़ी संख्या में अंतर–राज्य भिन्नताएं हैं। जैसाकि उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि पाइप द्वारा जल आपूर्ति का प्रतिशत बिहार में 2.6 प्रतिशत से लेकर पुदुचेरी में 95.20 प्रतिशत है तथा हिमाचल प्रदेश में यह 88.70 प्रतिशत है। ऐसे 6 जिले अर्थात बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं जिनमें पाइप द्वारा जल आपूर्ति वाले परिवारों का कवरेज 10 प्रतिशत से कम है। इन्हें कम से कम अन्य राज्यों के बराबर ऊंचा उठाने के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष प्रयास किए जा रहे है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक कार्यनिष्पादन

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कवरेज के लिए 7,98,967 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में, कवरेज 6,65,052 (88 प्रतिशत) था। झारखण्ड, छत्तीसगढ़, नागालैण्ड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने अपने लक्ष्यों में अधिक वृद्धि की है जबकि सिक्किम, पंजाब, असम, अरूणाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर ने लक्ष्यों की तुलना में कम उपलब्धि (50 प्रतिशत से कम) की सूचना दी है। 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार, कवर न की गई सभी बसावटों की कवर की गई बसावटों के रूप में सूचना दी गई है।

राज्यवार ब्यौरा अनुबंध–I में दी गई हैं।

(बसावटों की संख्या)

	लक्ष्य				कवरेज			
	कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर/ निचली श्रेणी में लौटना	गुणवत्ता प्रभावित	कुल	कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर/ निचली श्रेणी में लौटना	गुणवत्ता प्रभावित	कुल
1/4/2007 को अधिशेष	28525	159429	158766	346720	-	-	-	-
2007-08	20931	84915	49653	155499	11761	74897	18757	105415
2008-09	16753	101743	99402	217898	16137	115322	21531	152990
2009-10	586	123408	34595	158589	251	116499	32129	148879
2010-11	376	80342	41094	121812	376	91918	27107	119401
2011-12		75000	25000	100000	-	116246	22121	138367
2007-12 के दौरान कवर	-	-	-		28525 (100%)	514882 (322.95%)	121645 (76.61%)	665052 (191.81%)

11वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय कार्य–निष्पादन

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 40,150 करोड़ रू. के योजनाबद्ध परिव्यय (संशोधित अनुमान) की तुलना में, वास्तविक परिव्यय की राशि 39,200 करोड़ रू. है तथा प्रत्याशित उपयोग

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	सशोधित अनुमान	व्यय	सशोधित अनुमान का प्रतिशत
2007-08	6500	6400	6442.76	100.00
2008-09	7300	7300	7298.79	99.98
2009-10	8000	8000	7989.72	99.87
2010-11	9000	9000	8986.74	99.85
2011-12	9350	8500	8493.15	99.91
कुल	***40150***	***39200***	***39211.16***	***100.00***

39,211.16 करोड़ रू. अर्थात (100.03 प्रतिशत) है।
*31/12/2012 की स्थिति के अनुसार

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

" ग्रामीण पेयजल आपूर्ति " राज्य का विषय है, अन्य विषयों में यह विषय भी भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है जिसे राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भागीदारी होना इस क्षेत्र में फोकस के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत सरकार ने " समस्या–ग्रस्त ग्रामों " में पेयजल आपूर्ति के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यकम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से जल क्षेत्र में अपनी प्रमुख पहल को 1972–73 में शुरू किया था। 1986 में, जल गुणवत्ता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहल, मानव संसाधन विकास सहायता तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर बल देते हुए एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू